

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

दानिस अली पिता लियाकत अली मुसलमान निवासी जहाजपुर

बनाम

प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाजपुर वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 306/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
12.4.21	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम जहाजपुर पटवार हल्का जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 6376 रकबा 02.08 बीघा, आ.न. 6381 रकबा 02.13 बीघा, आ.न. 6382 रकबा 01.09 बीघा, आ.न. 6383 रकबा 02.19 बीघा, आ.न. 6384 रकबा 02.01 बीघा, आ.न. 6385 रकबा 00.05 बीघा, आ.न. 6386 रकबा 00.10 बीघा, आ.न. 6387 रकबा 00.19 बीघा, आ.न. 6388 रकबा 01.17 बीघा, आ.न. 6389 रकबा 02.12 बीघा, आ.न. 6390 रकबा 03.08 बीघा कुल 11 रकबा 21.01 बीघा स्थित है। विपक्षीय आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जहाजपुर पटवार हल्का जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 6376 रकबा 02.08 बीघा, आ.न. 6381 रकबा 02.13 बीघा, आ.न. 6382 रकबा 01.09 बीघा, आ.न. 6383 रकबा 02.19 बीघा, आ.न. 6384 रकबा 02.01 बीघा, आ.न. 6385 रकबा 00.05 बीघा, आ.न. 6386 रकबा 00.10 बीघा, आ.न. 6387 रकबा 00.19 बीघा, आ.न. 6388 रकबा 01.17 बीघा, आ.न. 6389 रकबा 02.12 बीघा, आ.न. 6390 रकबा 03.08 बीघा कुल 11 रकबा 21.01 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 3000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)